न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 122/2019 निर्णय दिनांक :– 25-9-19

उनवान

1. रामकिशन मीना पुत्र महादेव मीना जाति मीना, निवासी :– ग्प्रम रायपुरिया खुर्द, ग्प्रम पंचायत बल्लूपुरा तहसील चाकसू, जिला जयपुर राजस्थान।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

——प्रतिवादी

दावा बाबत हिस्सा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से वाद पत्र गिम्न प्रकार से पेश किया गया कि वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी आराजी खाता संख्या 14 में खसरा नम्बर 64 लगायत 70 कुल किता 7 कुल रकबा 2.99 है0 एवं खाता संख्या 18 में खसरा नम्बर 15, 16, 21 लगायत 25, 28 लगायत 63, 71 लगायत 73 कुल किता 46 कुल रकबा 11.83 है0 वाके ग्राम रायपुरिया खुर्द, तहसील चाकसू जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\RAMKISHAN VS SARKAR.docx

वादी वादग्रस्त आराजी के अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है, तथा अपनी उपज का उपयोग व उपभोग शांति पूर्वक करता चला आ रहा है। विवादित आराजी में स्वयं का नाम कृष्णा राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित हो रखा है जबकि वादी का वास्तविक नाम राधाकिशन राजस्व रिकार्ड में अंकित होने चाहिये था जबकि वादी का नाम पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में रामकिशन अंकित हो रखा है जो सही दर्ज हो रखा है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में कृष्णा के स्थान पर रामकिशन दर्ज होना चहिये था। वादी का नाम वादग्रस्त आराजी में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादी का नाम कृष्णा राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामकिशन अंकित होना चाहिये था। जिससे वादी वादग्रस्त आराजी में स्वयं का नाम कृष्णा की जगह रामकिशन दुरूस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। वादी ने वादग्रस्त आराजी की राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 11.04.19 को निकलवायी तब उसके बैंक मे दिखाया तो दस्तावेजों व रिकार्ड में नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है बैंक वालों ने कहा कि पहले तुम तुम्हारा नाम दुरूस्त करावो तब लोन देंगें। तब जानकारी हुई। वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में अपना नाम कृष्णा की जगह रामकिशन दुरूस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिस कारण वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

हुआ। वादी के लिये वाद कारण दिनांक 11.04.19 को बैंक वालों ने कहा कि आपका नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है जिसके लिये कहने पर उत्पन्न हआ जो निरंतर जारी है। वादी का वाद अन्दर मियाद व निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 14 में खसरा नम्बर 64 लगायत 70 कुल किता 7 कुल रकबा 2.99 है0 एवं खाता संख्या 18 में खसरा नम्बर 15, 16, 21 लगायत 25, 28 लगायत 63, 71 लगायत 73 कुल किता 46 कुल रकबा 11.83 है0 वाके ग्राम रायपुरिया खुर्द, तहसील चाकसू जिला जयपुर मे वादी का नाम कृष्णा के स्थान पर रामकिशन दुरूस्त फरमाया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलदांजी ना स्वयं करे, ना ही अपने अधिनस्थों से करावे।

दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया व प्रतिवादी की तलबी जारी की गयी व जवाब सरकार हेतु तहसीलदार को लिखा गया। तो जवाब सरकार मद संख्या 3 को आंशिक स्वीकार करते हुये शेष वादी स्वयं सिद्ध करे व कानूनी होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने का अंकित करते हुये पेश किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:06:29 IST
Reason: SelfAttested

जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो दोराने बहस वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार दावा डिक्री किया जाना जाहिर किया गया। दावे के समर्थन में वकील वादी ने ग्राम रायपुरिया खुर्द की जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 14, 18, पंचायत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गोर किया व प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो वादी का नाम आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड एवं राशन कार्ड में रामकिशन पुत्र महादेवी अंकित है केवल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता संख्या 14, 18 में कृष्णा पुत्र महादेव अंकित है, सरपंच ग्रमम पंचायत बल्लूपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में कृष्ण पुत्र महादेव व रामकिशन पुत्र महादेव दोनो एक ही नाम के व्यक्ति के होना अंकित किया गया है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में गलत नाम कृष्ण पुत्र महादेव को रामकिशन पुत्र महादेव को प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपंच प्रमाण पत्र के आधार पर शुद्ध किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच प्रमाण पत्र के आधार पर डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 14 में खसरा नम्बर 64 लगायत 70 कुल किता 7 कुल रकबा 2.99 है0 एवं खाता संख्या 18 में खसरा नम्बर 15, 16, 21 लगायत 25, 28 लगायत 63, 71 लगायत 73 कुल किता 46 कुल रकबा 11.83 है0 वाके ग्राम रायपुरिया खुर्द, तहसील चाकसू जिला जयपुर में वादी का नाम कृष्णा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के स्थान पर कृष्णा उर्फ रामकिशन पुत्र महादेव मीना दुरूस्त किया जाता है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में कृष्णा के स्थान पर कृष्णा उर्फ रामकिशन पुत्र महादेव मीना दुरूस्त किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय अनुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जोव। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:06:29 IST
Reason: SelfAttested